न्यायालय– उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी– प्रियंका करेला (आर.ए.एस.)

मु०नं० 78/2021 [illegible] दिनांक– 23.3.2026

1 रमेश पुत्र मंगल्या [illegible]

2 धीरया पुत्र मंगला रैगर,

3 कैलाश पुत्र मंगला रैगर, निवासी रैगरों की ढाणी, बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी

–प्रार्थीगण–

बनाम

1 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी–

प्रार्थीगण की ओर से श्री यागेश कुमार शर्मा, एडवोकेट उपस्थित

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक– 23.3.2026

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला में आराजी भूमी साविक खसरा नम्बर 218/257 प्रार्थीगण के पिता स्व0 मंगड्या पुत्र घमण्डी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है, बाद सेटलमेंट उपरोक्त आराजी से हाल खसरा नम्बर 633 रकवा 0.28 हेक्टर, 634 रकवा 0.31 हेक्टर, 637 रकवा 0.49 हेक्टर, 638 रकवा 0.49 हेक्टर व खसरा नम्बर 641 रकवा 0.64 हेक्टर बना है। इसी प्रकार ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला में ही आराजी भूमी साविक खसरा नम्बर 166 प्रार्थीगण के पिता स्व0 मंगल्या पुत्र घमण्डी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है, बाद सेटलमेंट उपरोक्त आराजी से हाल खसरा नम्बर 448 रकवा 0.23 हेक्टर बना है। प्रार्थीगण के पूर्वज मंगड्या पुत्र घमण्डी का स्वर्गवास हो चुका है तथा माता मुथरी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त आराजी से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध, ताल्लुक वास्ता नहीं है।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अपने पूर्वज मंगड्या पुत्र घमण्डी के समय से ही साविक रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी का दौराने सेटलमेंन्ट साविक खसरा नम्बर 218/257 से हाल नम्बर बनाते समय सहवन से व लिपिकीय भूल से प्रार्थीगण के पूर्वज मंगड्या पुत्र घमण्डी के स्थान पर नगरया पुत्र घमण्डी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया, जो जमाबंदी संवत् 2038–2078 से स्पष्ट है। इसी प्रकार राजस्व टीम द्वारा उक्त आराजी का हाल जमाबन्दी में सहवन से व लिपिकीय भूल से प्रार्थीगण के पूर्वज मंगड्या पुत्र घमण्डी के स्थान पर नगरया पुत्र घमण्डी दर्ज कर दिया। जबकि सेटलमेंन्ट विभाग व राजस्व टीम को दौराने सेटलमेंन्ट व बाद में प्रार्थीगण के पूर्वज मंगड्या पुत्र घमण्डी के वास्तविक नाम के अनुसार ही नाम दर्ज करना चाहिए था। सेटलमेंन्ट विभाग व राजस्व टीम की उक्त कार्यवाही लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है। आराजी भूमी साविक खसरा नम्बर 166 से हाल नम्बर बनाते प्रार्थीगण के पूर्वज मंगल्या पुत्र घमण्डी के स्थान पर मंगला पुत्र घमण्डी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया, जो जमाबंदी संवत् 2079 से स्पष्ट है। दिनांक 10.07.2023 को प्रार्थी रमेश पटवारी हल्का से के.सी.सी. पत्रावली बनाने के लिए मिला तो पटवारी हल्का द्वारा दस्तावेज देखने के पश्चात् पत्रावली बनाते समय प्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नहीं होने से के.सी.सी. पत्रावली बनाने में असमर्थता जाहिर कर दी तथा कहा कि पहले अपना विरासत का नामान्तरकरण खुलवाओ। प्रार्थीगण पटवारी हल्का के बताये अनुसार दस्तावेज लेकर पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का द्वारा दस्तावेज देखने के पश्चात् प्रार्थीगण के पहचान दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला व मंगल्या होने की वजह से तथा राजस्व रिकॉर्ड में हो रही उपरोक्त गलती की वजह से प्रार्थीगण से विरासत का नामान्तरकरण खोलने में असमर्थता जाहिर कर दी कहा कि पहले राजस्व रिकॉर्ड में हो रही उपरोक्त गलती को श्रीमान् तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जि. कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

बरनाला से उक्त दस्तावेजों में संशोधन करवाकर लाओ तब ही आपका विरासत का नामान्तरकरण खुलेगा। जिस पर प्रार्थीगण को श्रीमान् तहसीलदार बरनाला से मिले तो श्रीमान् तहसीलदार बरनाला द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन आदेश लाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने बाबत कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 633 रकवा 0.28 हेक्टर, 634 रकवा 0.31 हेक्टर, 637 रकवा 0.49 हेक्टर, 638 रकवा 0.49 हेक्टर, 641 रकवा 0.64 हेक्टर व खसरा नम्बर 448 रकवा 0.23 हेक्टर स्थित ग्राम आकोदिया तहसील बरनाला में सेटलमेंन्ट विभाग व राजस्व टीम द्वारा उक्त आराजी में दौंराने सेटलमेंन्ट सहवन से व लिपिकीय भूल से हुई गलती को दुरूस्त कर प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम नगरया के स्थान पर मंगड्या उर्फ मंगला उर्फ मंगल्या संशोधित किये जाने व संशोधन कर विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम खोले जाने के आदेश श्रीमान् तहसीलदार बरनाला को फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया।

अप्राथी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में पेश दस्तावेजात, जवाब अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जा[illegible] अप्रा[illegible] तहसीलदार बरनाला को निर्देश दिया जाता है कि वह आराजी हाल ख[illegible] नम्बर 633 रकवा 0.28 हेक्टर, 634 रकवां 0.31 हेक्टर, 637 रकवा 0.49 हेक्टर, 638 रकवा 0.49 हेक्टर, 641 रकवा 0.64 हेक्टर व खसरा नम्बर 448 रकवा 0.23 हेक्टर स्थित ग्राम

उप [illegible] कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

आकोदिया तहसील बरनाला में सेटलमेंन्ट विभाग व राजस्व टीम द्वारा उक्त आराजी में दौरानें सेटलमेंन्ट सहवन से व लिपिकीय भूल से हुई गलती को दुरूस्त कर प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम नगरया के स्थान पर मंगड्या उर्फ मंगला उर्फ मंगल्या पुत्र घमण्डी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार बरनाला को आदेश की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.3.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)
(प्रियंका कडेला)

उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner